यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी)** के माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 08.06.2018 से 18.06.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार मोर्या एवं मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 15.06.2015 से 24.06.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2013 से 05/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अनुरुप 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद पौडी गढवाल के पॉच विकास विकास खण्डों क्रमशः आंशिक थलीसैंण, खिर्सू, कोट, पौडी एवं पाबौ हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	2026.69	1794.53	260.19	254.42	–	232.16	–	5.77
2016–17	–	–	1904.22	1663.41	258.38	250.16	–	240.81	–	8.22
2017–18	–	–	2002.14	1580.72	275.49	269.19	–	421.42	–	6.30
2018–19 (5/2018)	–	–	839.17	483.33	69.70	61.69	–	355.84	–	8.01

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 एवं कोषागार को समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	1836.50	1633.04	–	203.46
2016–17		–	1699.12	1517.12	–	182.00
2017–18		–	1841.23	1436.45	–	404.78
2018–19 (5/2018)		–	830.82	475.26	–	355.56

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ब" श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:

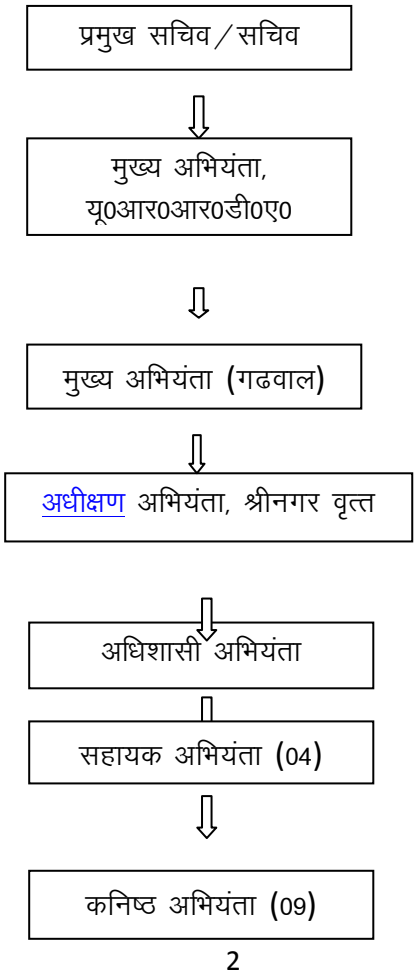

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक– पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 11 निर्माण कार्यों (पूर्ण–09 एवं प्रगतिरत–02) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन माह 05/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में मार्च 2017 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।

5. फार्म 51 माह 05/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।

6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 05/2018 के अन्त में : शून्य

7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: निर्धारित दर अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 195.78 लाख का अधिक भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर–अनुसूची पर आधारित होना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी) के चयनित मोटर मार्गों के लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि चार मोटर मार्गों में मार्ग की आधार सतह हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त की गई थी, परन्तु जिस दर पर ठेकेदार को भुगतान किया गया वह दर जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री के स्थान पर जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड की थी। इसप्रकार, मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित दर के विपरीत उच्च दर से भुगतान किए जाने पर रु0 195.78 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:–

कार्य का नाम	निविदा हेतु शिड्यूल "ब" के अनुसार जी0एस0बी0 की दर	दर–अनुसूची के अनुसार जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर	अनुबन्धित/ देयक की दर	देयक के अनुसार आधिक्य (4-3)	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मोल्काखाल से टीला	1022.70	330.80	975.00	644.20	3608.54	2324621.47
डुंग्रीपथ से खिर्सू	1265.00	479.80	1265.00	785.20	912.38	716400.78
परसुण्डाखाल से काण्डई मल्ली	1021.00	330.60	1000.58	669.98	9319.22	6243691.02
त्रिपालीसैंण से डुंग्री	1020.60	332.30 + 27.4% above = 423.35	1300 (27.4% above)	876.65	11742.00	10293624.30
योग :–						**19578337.57**

उक्त तालिका में उल्लिखित मार्गों में प्रावधानित एवं सम्पादित जी0एस0बी0 मद का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:–

1. मोल्काखाल से टीला मोटर मार्ग के स्वीकृत डी0पी0आर0 एवं प्राविधिक स्वीकृति में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री (GSB by providing well graded material) का प्रावधान किया गया था परन्तु निविदा हेतु निर्मित शिड्यूल "ब" में इस सामग्री के स्थान पर जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (Granular Sub-base sourse with local material) का प्रावधान कर दरें आमंत्रित एवं स्वीकार की गई। निविदा में मार्ग की आधार सतह का प्रावधान मोर्ड (MORD) आई0आर0सी0 के क्लॉज 401.40 एवं तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 क्रम संख्या 4.11 (1) (ii) के आधार पर जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (Granular Sub-base sourse with local material) के साथ किया गया था, परन्तु जिस दर (रु0 1022.70 प्रति क्यूमी0) को इस सामग्री हेतु लिया

गया वह विकास खण्ड थलीसैंण की दर–अनुसूची (01.05.2012) के अनुसार उच्च दर की थी। जबकि इसी दर–अनुसूची (01.05.2012) में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर रु0 330.80 प्रति क्यूमी0 थी। इसप्रकार, मोटर मार्ग में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित दर के विपरीत उच्च दर से भुगतान किए जाने पर रु0 23.25 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

2. डुंग्रीपथ से खिर्सू एवं परसुण्डाखाल से काण्डई मल्ली मोटर मार्ग के स्वीकृत आगणन, प्राविधिक स्वीकृति, अनुबन्धित मद एवं अन्तिम देयक के अनुसार मार्ग की आधार सतह का प्रावधान मोर्ड (MORD) आई0आर0सी0 के क्लॉज 401.40 एवं तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 क्रम संख्या 4.11 (1) (ii) के आधार पर जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (Granular Sub-base sourse with local material) के साथ किया गया था, परन्तु विस्तृत आगणन, अनुबन्ध एवं भुगतान में जी0एस0बी0 के साथ आधार सतह के कार्य मद में जो दर ली गई वह दर–अनुसूची के अनुसार उच्च दर की थी। दर–अनुसूची में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर क्रमशः रु0 479.80 एवं रु0 330.60 प्रति क्यूमी0 थी, परन्तु जो दर विस्तृत आगणन एवं अनुबन्ध में ली गई थी उसकी दर क्रमशः रु0 1265.00 एवं रु0 1021.00 प्रति क्यूमी0 उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री (GSB by providing well graded material) की थी। इसप्रकार, दोनों मोटर मार्ग में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित दर के विपरीत उच्च दर से भुगतान किए जाने पर रु0 69.60 लाख (डुंग्रीपथ से खिर्सू : रु0 7.16 लाख एवं परसुण्डाखाल से काण्डई मल्ली : रु0 62.44 लाख) का अधिक भुगतान किया गया।

3. त्रिपालीसैंण से डुंग्री मोटर मार्ग के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0), प्राविधिक स्वीकृति के विस्तृत आगणन एवं निविदा हेतु शिड्यूल "ब" में मार्ग की आधार सतह हेतु जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड (GSB by providing well graded material) का प्रावधान किया गया था तथा दरें भी विकास खण्ड थलीसैंण के 01.05.2012 की दर–अनुसूची के अनुसार स्वीकार की गई थी। परन्तु मोटर मार्ग में अन्तिम देयक एवं माप पुस्तिका के अनुसार प्रावधानित एवं अनुबन्धित जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड के विपरीत जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री {तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 क्रम संख्या 4.11 (1) (i)} प्रयुक्त की गई तथा जिस दर पर ठेकेदार को भुगतान किया गया वह दर उच्च ग्रेड जी0एस0बी0 की थी। यदि मोटर मार्ग में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त की गई तो तत्कालीन दर–अनुसूची में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित दर से ही भुगतान किया जाना चाहिए था। इसप्रकार, मोटर मार्ग में स्थानीय जी0एस0बी0 कार्य मद हेतु निर्धारित दर के विपरीत उच्च दर से भुगतान किए जाने पर रु0 102.94 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदा होने के कारण यह विसंगति हुई परन्तु प्रखण्ड द्वारा निविदा में स्वीकृत दरों के आधार पर ठेकेदारों को भुगतान किया गया। त्रिपालीसैंण से डुंग्री मोटर मार्ग के सम्बन्ध में बताया कि कार्यालय द्वारा प्रयुक्त मद के अनुसार भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद का उपयोग वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में प्रयुक्त किया गया उसी मद की दर–अनुसूची की दर से ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना चाहिए था, जो कि इन प्रकरणों में नहीं किया गया।

अतः निर्धारित दर अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 195.78 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–2: आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत जियोमैट्रिक डिजाईन में कैरेज–वे की चौडाई अधिक किए जाने से रु0 61.56 लाख का परिहार्य व्यय।

आई0आर0सी0 एस0पी0–20–2002 के प्रस्तर 2.6.4 के अनुसार यदि किसी लिंक (dead end) मोटर मार्ग में प्रति दिन 100 से अधिक यातायात वाहन हो तो यातायात (carriage way) हेतु पक्की सड़क की चौडाई 3. 75 मी0 तथा 100 से कम होने पर चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नलई से चुठाणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु फेस–XI में रु0 544.27 लाख (निर्माण : रु0 495.63 लाख तथा अनुरक्षण रु0 48.64 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश प्रदान की गई (31.07.2013)। मुख्य अभियंता (स्तर–2), पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून द्वारा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष रु0 544.27 लाख (निर्माणः रु0 495.63 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 48.64 लाख) की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई (03.12.2013)। मोटर मार्ग निर्माण हेतु रु0 422.21 लाख (निर्माण : रु0 379.07 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 43.13 लाख) का अनुबन्ध संख्या 61/ एस0ई0–पी0एम0जी0एस0वाई0/2014–15 दिनॉक 17.01.2014 गठित किया गया। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथियॉ क्रमशः 17.01.2014 एवं 16.07.2015 निर्धारित थी, परन्तु कार्य वास्तविक रुप से रु0 551.60 लाख व्यय के साथ 28.10.2016 में पूर्ण किया गया।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी) के नलई से चुठाणी मोटर मार्ग के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि लिंक मोटर मार्ग में प्रति दिन वार्षिक औसत दैनिक यातायात (ए0ए0डी0टी0) की संख्या 89 होने पर भी पक्की सड़क की चौडाई 3.75 मी0 प्रावधानित एवं सम्पादित की गई, जबकि विशिष्टियों के अनुसार लिंक मार्ग में प्रति दिन 100 से कम मोटर वाहनों का यातायात घनत्व होने पर पक्की सड़क की चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए थी। इसप्रकार, मानकों से अधिक 0. 75 मी0 चौडाई में ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 एवं बिटुमिन (पी0सी0) कार्य किए जाने पर रु0 61.56 लाख का परिहार्य व्यय किया गया। अधिक चौडाई में किए गये कार्य पर परिहार्य व्यय का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मद का नाम	मार्ग की लम्बाई (मी0)	विशिष्टियों के अनुसार सडक की चौडाई (मी0)	सम्पादित सडक की चौडाई (मी0)	अधिक चौडाई	मात्रा	अतिरिक्त कर्व (10%)	पासिंग स्थल	कुल मात्रा	अनुबन्धित /देयक दर	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	जी0एस0बी0	11900.00	3.00	3.75	0.75	2677.50[1]	267.75	283.50[2]	3228.75	608.72	1965404.70
2.	जी–3	11900.00	3.00	3.75	0.75	669.38[3]	66.94	70.88[4]	807.20	1645.00	1327844.00

[1] **GSB** = Length x width x height i.e. 11900m x 0.75m x 0.300m = 2677.50 cum.

[2] **Passing place for GSB** = Total No. of passing place x passing place length x excess width x height i.e. 36x35x0.75x0.300 = 283.50 cum.

[3] **G3** = Length x width x height i.e. 11900m x 0.75m x 0.075m = 669.38 cum.

[4] **Passing place for G3** = Total No. of passing place x passing place length x excess width x height i.e. 36x35x0.75x0.075 = 70.88 cum

3.	प्राईमर कोट	11900.00	3.00	3.75	0.75	8925.00[5]	892.50	945.00[6]	10762.50	40.00	430500.00
4.	टैक कोट	11900.00	3.00	3.75	0.75	8925.00	892.50	945.00	10762.50	12.00	129150.00
5.	प्रीमिक्स कारपेट	11900.00	3.00	3.75	0.75	8925.00	892.50	945.00	10762.50	148.00	1592850.00
6.	सील कोट	11900.00	3.00	3.75	0.75	8925.00	892.50	945.00	10762.50	66.00	710325.00
	योगः–										**6156073.70**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि इकाई द्वारा स्टेज–। का कार्य 10.440 किमी0 लम्बाई में किया गया था। मार्ग के स्टेज–।। के कार्य की डी0पी0आर0 में लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित 1.460 किमी0 लम्बाई जो कि इस मोटर मार्ग के चुठाणी गॉव की तरफ निर्मित किया गया, स्टेज–।। के कार्य हेतु संकलित किया गया। जिस कारण नइर्ल–चुठाणी मोटर मार्ग की लम्बाई 11.900 किमी0, जिसका अन्तिम बिन्दु पैठाणी–गिवौखाल–कर्णप्रयाग राजकीय मार्ग से मिलने के कारण मार्ग थ्रू–रुट में तब्दील हो गया। आई0आर0सी0 के मानकों के अनुसार थ्रू–रुट की चौडाई 3.75 मी0 में प्रस्तावित कर निर्माण कार्य किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि मोटर मार्ग स्टेज–।। के आगणन तैयार करने से पूर्व ही थ्रू–रुट हो गया था तो इसका उल्लेख डी0पी0आर0 के प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त डी0पी0आर0 में इस मोटर मार्ग को लिंक रोड तथा अन्तिम स्थल चुठाणी ही दर्शाया गया, जो स्वयं ही मार्ग के लिंक रोड होने की पुष्टि करता है।

अतः आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत जियोमैट्रिक डिजाईन में कैरेज–वे की चौडाई अधिक किए जाने से रु0 61.56 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

[5] **PC** (Primer coat, Tack coat, Premix Carpet & Seal coat) : 11900m x 0.75m = 8925.00 sqm.
[6] **Passing place for PC** = Total No. of passing place x excess width i.e. 36x35x0.75 = 945.00 sqm.

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 56.68 लाख का व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के निर्देशिका प्रस्तर 8.5 (vi) के अनुसार पहाडी राज्यों में निर्माण कार्य के आकलन दो भागों में तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में फॉरमेशन कटिंग, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य और निकासी कार्य तथा द्वितीय चरण में पेंवमेंन्ट के कार्य जैसे ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटूमिन की सतह बिछाने का कार्य सम्मिलित किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी) के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि पॉच मोटर मार्गों के आगणनों एवं अनुबन्धों में स्टेज–। के कार्यों के साथ जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री का प्रावधान कर सम्पादित किया गया, जबकि निर्देशिका के अनुसार ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह का कार्य द्वितीय चरण के कार्यों में बिटुमिन के साथ किया जाना चाहिए था। सम्पादित जी0एस0बी0 का विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	अन्तिम देयक के अनुसार स्थानीय जी0एस0बी0		अधिक भुगतान
	सम्पादित मात्रा (cum)	दर	
चम्पेश्वर से झन्गरबौ	2757.25	400.00	1102900.00
कौन्धार से कलौन	2875.26	400.00	1150104.00
घोडीखाल से डुंग्री	2196.43	479.70	1053627.47
पोखरीखेत से घिंतोली	1526.75	450.00	687037.50
बुआखाल से गहर	4599.40	364.00	1674181.60
योगः–			**5667850.57**

इस प्रकार, निर्देशिका के विपरीत स्टेज–। में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री सम्पादित कर रु0 56.68 लाख का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि दलदलीय क्षेत्र पर वाहनों के सुचारु रुप से आवागमन हेतु जी0एस0बी0 प्रयुक्त की गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फारमेशन कटिंग के पश्चात् ही इन समस्त कार्यों हेतु स्टेज–।। का प्रावधान है जिसमें डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटूमिन की सतह बिछाने का कार्य किया जाता है ताकि मार्ग निर्माण से योजना के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो सके। सम्बन्धित मोटर मार्गों में बिना फारमेशन कटिंग के ही जी0एस0बी0 का प्रावधान कर सम्पादित किया जाना न केवल ग्रामीण सडक मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत था अपितु रु0 56.68 लाख का अनावश्यक दुरुपयोग था।

अतः निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 56.68 लाख के निरर्थक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
52/2011-12	01	01, 03 एवं 04
03/2013-14	01	01
147/2015–16	–	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
52/2011-12	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
03/2013-14	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
147/2015–16	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री मनोज कुमार सिंह	अधिशासी अभियंता	23.07.2011 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (पौडी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार,सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी।**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.